

दि. 15.02.2024 को जे.प.

15⁰²/₂₂ आज पत्रावली पत्र हुई। मूल दावा अदम्य
दाजरी अदम्य पत्रों में खारिज किया जा चुका है।
अतः प्रार्थना पत्र 212 RT-Act को आगे चलाने
का कोई औचित्य नहीं रहता है। अतः प्रार्थना पत्र
शुद्ध तौर पर खारिज किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र
मूल दावा के साथ लंबित है। पत्रावली फैलल शुभा।
होकर न-ले न-ले होकर बाबिल फल है।

उपसुब्ड अधिकारी
बहरोड़ (अलवर) राज